कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (146)

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2018–19 दिनांक : 12/02/2019

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा

विषय : शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में कार्य कर फाईनल सबमिट नहीं करने के कारण विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक– 24.08.2018, 27.09.2018, 28.09.2018 एवं 09.10.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य सम्पन्न करने की अन्तिम तिथि 20.10.2018 नियत की गई थी। अत्यन्त खेद का विषय है कि अंतिम तिथि के उपरांत भी कुछ संस्थाप्रधानों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन शालादर्पण पर किसी भी कारण से (गलत भामाशाह नम्बर, आधार नम्बर, बैंक खाता) अपलोड नहीं किए गए हैं, जिस कारण से पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं की सम्पूर्ण जिम्मदारी संस्थाप्रधान की है।

जिन संस्थाप्रधानों द्वारा अपलोड का कार्य सम्पादित नही किया गया है उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया अमल में लावें। इस हेतु शालादर्पण पर ब्लॉकवार, योजनावार एक्सल शीट अपलोड की जा चुकी है जिन्हें आप द्वारा डाउनलोड कर संस्थाप्रधानों का चिन्हिकरण किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 12/2/2019

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक शिक्षा को अपने अधिनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) एवं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।

(हस्ताक्षर) 12/2/2019

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर